5

<u>आदेश</u>

स0परि0/5827 प्रशान्त कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती के आदेश संख्याः द–07/2017 दिनांक 05.02.2018 द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा प्रविष्टि के कारण पूर्व में इनके अन्य सहकर्मियो के साथ इन्हे सहायक परिचालक पद पर स्थाईकरण हेतु अनुपयुक्त पाया गया था।

उल्लेखनीय है कि मा0राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या–1590/2021 सहायक परिचालक प्रशान्त कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 20.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार) मुख्यालय के आदेश संख्याः ए–1210/2019 दिनांक 27.06.2022 द्वारा याची स0परि0/5827 प्रशान्त कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती द्वारा आदेश संख्याः द–07/2017 दिनांक 05.02.2018 द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा प्रविष्टि तथा इसके विरुद्ध याची द्वारा योजित अपील याचिका दिनांक 14.06.2018 पर उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)आपरेशन द्वारा पारित अपीलीय आदेश संख्या–ए–1164/2018(अपील) दिनांकित 09.10.2018 तथा पुनरीक्षण याचिका संख्या–ए–1210/2019(रिवीजन) दिनांक 12.12.2019 को निरस्त करते हुए इसके आधार पर याची के रोके गये समस्त परिणामिक सेवा लाभ याची को अनुमन्य किए जाने के आदेश पारित किए गये है।

अतएव उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार) मुख्यालय के उपर्युक्त संदर्भित आदेश दिनांक 27.06.2022 के अनुपालन में स0परि0/5827 प्रशान्त कुमार सिंह, वर्तमान नियुक्ति जनपद–श्रावस्ती का दिनांक 18.01.2019 से सहायक परिचालक पद पर स्थाईकरण /धारणाधिकार निश्चित किया जाता है।

संख्याः सी–197/2014(पार्ट–2)
दिनांकः जून 29 ,2022

29/6/22
(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी(प्रशासन)
उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. रेडियो निरीक्षक, श्रावस्ती।
2. रेडियो निरीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
3. रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हि0आ0पु0 में अंकन हेतु।
4. प्रभारी, सर्वर सेल, उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
5. कार्यालय प्रति।